

ग्वालियर विकास प्राधिकरण
Gwalior Development Authority
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
1, रवि नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक 3864

दिनांक 03.06.2026

Tender Id : 2026_DTCP_512966 _1

Tender reference number : GDA/ESTATE/2026-27/Y2(HB)/3864

प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज-2 के हेल्थ ब्लॉक बोली आमंत्रण द्वारा निम्न तालिका में भूखण्ड का व्ययन हेतु लीज पर आवंटन.

स. क्र.	ई-टेंडर पोर्टल आई.डी.	सम्पत्ति का विवरण व्यवसायिक भूखण्ड.	श्रेणी.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर) में.	न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर.	आरक्षित मूल्य	आरक्षित मूल्य की राशि का 10%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	2026_DTCP_512966_1	Y(Health)/2	अनारक्षित	8219.62	25,025 / -	20,56,95,990 / -	2,05,69,599 / -

निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर प्रस्तुत करने की प्रमुख तिथियां:-

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	08.06.2026	11:00
2	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	22.06.2026	15:00
3	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	22.06.2026	15:00
4	निविदा प्रपत्र के भौतिक दस्तावेज (Hardcopy) कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	23.06.2026	15:30
5	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	23.06.2026	15:00

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी म.प्र. शासन की वेबसाइट (पोर्टल) पर उपलब्ध है।

नोट:-

- बोली केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
- बोली प्रस्तुतकर्ता के ऊपर म.प्र. शासन/प्राधिकरण के नियम तथा व्ययन नियम 2018 एवं संशोधन 2021 के साथ-साथ भविष्य में लागू नियम प्रभावशील होंगे।
- हेल्थ ब्लॉक के निर्धारित श्रेणी के पात्र पंजीकृत संस्थाओं एवं व्यक्तियों की निविदा ही मान्य की जावेगी।
- बोली प्रस्तुतकर्ता बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने से पूर्व स्थल का अवलोकन कर सकते हैं।
- डायवर्सन शुल्क, सम्पत्ति कर तो जो शासकीय शुल्क होंगे वह निविदादाता को वहन करने होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण,
ग्वालियर.

निविदादाता के हस्ताक्षर

Gwalior Development Authority

ग्वालियर विकास प्राधिकरण

1, रवि नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन क्रमांक 3864 दिनांक 03.06.2026 पोर्टल टेण्डर क्र. **2026_DTCP_512966_1** द्वारा प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज-2 के हेल्थ ब्लॉक के भूखण्ड का व्ययन का लीज पर आवंटन प्रति वर्गमीटर की दर पर ऑनलाईन (Online) निविदा म.प्र. शासन के ई-टेण्डर वेबसाइट (Portal) <http://mptenders.gov.in> पर आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाइन (Online) निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ई-टेण्डर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया" शीर्षक अंतर्गत अनुलग्नक "ए" पर दी गई है।

निविदा प्रपत्र म.प्र. शासन की वेबसाइट (पोर्टल) <http://mptenders.gov.in> पर राशि रु. 1180/- (जीएसटी सहित) का ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) 10 प्रतिशत राशि रु. 2,05,69,599/- का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। अन्य किसी भी रूप में निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) मान्य नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण,
ग्वालियर

निविदा तालिका

अ.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निविदा दस्तावेज	4 से 9
2	शपथ-पत्र	10 से 11
3	निविदा से संबंधित निबन्धन तथा शर्तें	12 से 15
4	निविदा प्रपत्र	16 से 18
5	निविदादाताओं के लिए निर्देश	19 से 21
6	ई-टेंडर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया	22 से 23

निविदा दस्तावेज

विज्ञापन क्रमांक 3864 दिनांक 03.06.2026 पोर्टल टेण्डर आई.डी. **2026_DTCP_512966_1** के संदर्भ में प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज-2 के हेल्थ ब्लॉक के भूखण्ड का व्ययन के लीज पर आवंटन प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन हेत, इच्छुक व्यक्ति उनके प्रस्ताव नीचे अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।

निविदा दस्तावेज में निम्न चार भाग सम्मिलित हैं :-

भाग एक	:	भूखण्ड हेतु निविदा की प्रस्तुति बावत् निर्देश
भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
भाग तीन	:	भूखण्ड के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
भाग चार	:	निविदा प्रपत्र

भाग—एक : भूखण्ड हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, लिफाफा 'ए' /पैकेट-2 अर्थात् पात्रता लिफाफे में ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर अपलोड किया जाए)

एक: निविदा तथा भूखण्ड के आवंटन हेतु पात्रता

1. विज्ञापन में एक भूखण्ड की निविदा की प्रस्तुति हेतु केवल एक निविदा प्रपत्र ही लागू होगा।
2. यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता विज्ञापन की एक से अधिक भूखण्ड हेतु निविदा लगाने का इच्छुक हो तो उसे पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र क्रय कराने होंगे।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अपूर्ण निविदा को ग्रहण नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
4. निविदा प्रपत्र/निविदा दस्तावेज शुल्क गैर वापसी योग्य रहेगा।

दो :निविदा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया :-

(अ) सीलबंद भौतिक निविदा प्रपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया :-

अ.क्र.	पैकेट का नाम	भौतिक दस्तावेज जो प्रस्तुत करना है
1	Envelope-A	निविदा प्रपत्र शुल्क की फोटोकॉपी, अर्नेस्ट मनी की ऑनलाईन जमा रसीद की फोटोप्रति, हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र तथा निविदा प्रपत्र में उल्लेखानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी इस लिफाफे के अंतर्गत रखना है।
2	Envelope-B	निविदा प्रपत्र का भाग-4 परन्तु इसमें दर भर कर नहीं दी जानी है।
3	Envelope-C	आवरण लिफाफा- इस लिफाफे में Envelope- A एवं Envelope-B को रखकर सीलबंद करना है।

(ब) सीलबंद निविदा प्रपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया :-

अ.क्र.	पैकेट का नाम	ऑनलाईन दस्तावेज जो प्रस्तुत करना है
1	Packet -1 Fee}	निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी की ऑनलाईन जमा रसीदों की स्केन्ड कॉपी इस पैकेट्स के अंतर्गत अपलोड करना है
2	Packet -2 {Prequal/Technical}	निविदा प्रपत्र तथा निविदा प्रपत्र में उल्लेखानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपी इस पैकेट के अंतर्गत अपलोड करना है।
3	Packet-3 {Finance}	जिस दर पर आप भूखण्ड लेना चाहते हैं, भूखण्ड की प्रति वर्गमीटर की दर इस पैकेट्स के अंतर्गत एक्सेल शीट के दर वाले कॉलम में दर्ज करना है। साथ ही निविदादाता को अपना नाम Name of the bidder में दर्ज करना आवश्यक है।

तीन-निविदा की वैधता, निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी का समपहरण

1. निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेंगी।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को विज्ञापन/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) राशि का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। अन्य किसी भी रूप में निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) मान्य नहीं होगी।
3. अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हों, निविदा लिफाफा खोलने की तारीख से तीस दिन के भीतर निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) वेबसाइट पोर्टल से सीधे ऑनलाइन लौटा दी जाएगी।
4. ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जिसका प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जो या तो प्रस्ताव को वापस लेने का इच्छुक हो अथवा जिसके द्वारा निविदा दस्तावेज में भुगतान के निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर बकाया रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहा हो अथवा जिसके द्वारा पात्रता से संबंधित तथ्यों/जानकारी के संबंध में मिथ्या प्रस्तुतीकरण किया जाना पाया गया है, की निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) जब्त कर ली जाएगी।

चार:- प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी/अभिलेख

लिफाफा ए-पात्रता लिफाफा

1. ऐसे प्रकरण में जहां प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, बाली लगाने वाले को बोली दस्तावेज फीस (गैर वापसी योग्य) हेतु डिमान्ड पे-ऑर्डर ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा अथवा जहां बोली प्रपत्र का प्राधिकरण से क्रय किया गया हो वहां बाली दस्तावेज क्रय के लिये किये गये नगद भुगतान की मूल रसीद की प्रति।
2. निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्टमनी) हेतु रुपये 2,05,69,599/- राशि का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किया गया।
3. अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज।

अ. वैयक्तिक/संयुक्त आवेदकों हेतु

ए) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की आर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो, उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का शपथ पत्र जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा पता, प्राधिकृत व्यक्ति से उसका संबंध तथा वे कारण, जिनके द्वारा उसे प्राधिकृत किया जाना आवश्यक हो गया हो, (यदि लागू हो) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।

ब) स्वयं/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार शपथ-पत्र (भाग-दो)।

सी) जहां किसी विभिन्न श्रेणी के लिए आरक्षित संपत्ति/भूखण्ड के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही हो, वहां विभिन्न आरक्षण संबंधी श्रेणियों हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिये गए अनुसार होंगे। जहां आरक्षित श्रेणी की संपत्ति/ भूखण्ड हेतु निविदा को सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया हो, प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जन जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम संनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होनी द'गा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर/राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेना अधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक सदस्य के लिये	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

डी) निविदादाता द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

ई) भूखण्ड हेतु निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** तथा भूखण्ड के आवंटन हेतु निबंधन एवं शर्तें **(भाग-तीन)**

एफ) निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस की स्व-हस्ताक्षरित फोटो कॉपी।

जी) अन्य कोई अभिलेख (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए)

ब. किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था/फर्म/इकाई (सत्ता) हेतु

ए) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधित संकल्प।

बी) निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संलग्न प्रपत्र **(भाग-दो)** के अनुसार शपथ-पत्र।

सी) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि)

डी) भूखण्ड के लिये निविदा की प्रस्तुती हेतु अनुदेशों की हस्ताक्षरित प्रति **(भाग-एक)** तथा भूखण्ड के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें **(भाग-तीन)**

ई) अन्य कोई दस्तावेज (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए)

- आवश्यक अपेक्षित जानकारी/ दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नैस्टमनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार योग्य है। तथापि, प्राधिकरण अपने अनन्य विवेकाधिकार से किसी जानकारी के बारे में मांग कर सकेगा, जैसा कि वह दस्तावेज के सत्यापन/ उनकी पर्याप्तता के बारे में पुष्टि ओर / या उनके सही होने के बारे में आवश्यक समझे।
- लिफाफा 'ए' में वित्तीय प्रस्ताव/निविदा से संबंधित कोई जानकारी अंतर्विष्ट नहीं की जाएगी तथा लिफाफा 'ए' में यदि कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसे निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- लिफाफा 'बी' में केवल निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र अंतर्विष्ट होगा। (भाग-चार)।

पांच: निविदा प्रस्तुत की नियत तारीख तथा निविदा प्रपत्रों को खोलना:-

- निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल <http://mptenders.gov.in> पर प्रस्तुत करने की प्रमुख तिथियां:-

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	08.06.2026	11:00
2	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	22.06.2026	15:00
3	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	22.06.2026	15:00
4	निविदा प्रपत्र के भौतिक दस्तावेज (Hardcopy) कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	23.06.2026	15:30
5	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	23.06.2026	15:00
6	निविदा का ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय निविदा प्रपत्रों का मूल्यांकन होने पश्चात वेबसाइट पर पृथक से प्रदर्शित किया जायेगा		

- निविदा खोलने के प्रथम चरण में टेण्डर प्रपत्र शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी का पैकेट खोला जाएगा। द्वितीय चरण में केवल पात्रता लिफाफे को खोला जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
- दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् केवल पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफा को खोला जाएगा।
- दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफों को खोला जाएगा।

छह: उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ताओं की घोषणा :-

- भूखण्ड के लिए आरक्षित दर/मूल्य से नीचे की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- सामान्यतः, ऐसे उच्चतम निविदा प्रस्तुतकर्ता को, जो आरक्षित मूल्य से अधिक की दर प्रस्तुत करता है, निविदा लिफाफों को खोलने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अध्वधीन रहते हुए चयनित निविदा प्रस्तुतकर्ता घोषित किया जाएगा।
- प्राधिकरण को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सात: पते में परिवर्तन तथा निविदा प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति का पता लगाना एवं भूखण्ड का भौतिक सत्यापन :-

- निविदा प्रस्तुतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता से पत्र-व्यवहार हेतु उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचित किया जाएगा।
- प्राधिकरण किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन के फलस्वरूप या, किसी प्रकार के डाक संबंधी विलंब के कारण किसी कार्यवाही में विलंब के लिये किसी भी रीति में उत्तरदायी नहीं होगा।
- निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्राधिकरण की वेबसाइट पर निविदा के संबंध में किसी भी सूचना के बारे में स्वयं को अद्यतन रखें।
- निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व भूखण्ड के भौतिक निरीक्षण के पश्चात निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

भाग-दो : शपथ- पत्र हेतु प्रपत्र
(लिफाफा 'ए' /पेकेट-2 : पात्रता लिफाफा में प्रस्तुत किया जाए)
(शपथ-पत्र को रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प (Non-judicialstamps) पर
सम्यक् नाटरी प्रामाणीकरण पश्चात् प्रस्तुत किया जाए)

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों के संबंध में अपेक्षणीय)

1. मैं, शपथकर्ता शपथ पत्र पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :

मेरा नाम :
पिता/पति का नाम :
पता :
व्यवसाय :
आयु :

- यह कि मैं..... नाम (निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम) की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ तथा मुझे इकाई के संकल्प के अनुसार,..... की ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता कोई कम्पनी/फर्म/इकाई है)।
- यह कि मैं (नाम)(प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को संलग्न शपथ पत्र के अनुसार मेरी ओर से निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत कर रहा हूँ (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता ने किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रस्तुतकर्ता की ओर निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है)
- यह कि मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी प्राधिकरण की ओर से सम्पत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कोई भूखण्ड आवंटित नहीं की गई है (ऐसे प्रकरण में लागू होगा जहां निविदा प्रस्तुतकर्ता आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो)।
- यह कि निविदा प्रपत्र के अन्तर्गत की गई समस्त जानकारी सही है तथा इसमें किन्हीं भी सारभूत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।
- यह कि मैंने निविदा संबंधी निबंधन तथा शर्तों तथा भूखण्ड के बारे में प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतः समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें तथा भूखण्ड के व्ययन के बारे में प्राधिकरण के नियमों को पूर्णतः समझ लिया है तथा ये निबन्धन तथा शर्तें/नियम मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं।
- यह कि यदि निविदा के अन्तर्गत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई किसी जानकारी को गलत/दुर्व्यपदेशनकारी पाया जाता है, तो प्राधिकरण की मेरी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रतिभूमि राशि (अर्नेस्ट मनी) को समपहत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा तत्पश्चात् इस निविदा के अन्तर्गत आवंटित की गई भूखण्ड को भ रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।
- यह कि शपथ-पत्र प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित संपत्ति व्यवसायिक भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए मेरे द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

.....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

:: सत्यापन ::

मैं,.....पिता/पति श्री..... सत्यापित करता हूँ/करती हूँ, कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा कि इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। यह सत्यापन आज दिनांक..... को किया गया।

.....

शपथकर्ता

(निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

- जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
- उपर दिये गये प्रपत्र के अलावा किसी अन्य पारूप में प्रस्तुत किया गया शपथपत्र मान्य नहीं होगा।

भाग-तीन: भूखण्ड के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Conditions for Allotment of property)

(दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर, लिफाफा 'ए' / पेकेट-2 अर्थात् पात्रता लिफाफा में प्रस्तुत की जाए)

एक: भूगतान की शर्तें

1. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता के निविदा की स्वीकृति के बाद जारी प्रस्तावित आवंटन पत्र में उल्लेखित भूखण्ड की राशि का भुगतान व्ययन नियम 2018 तथा 2021 के संशोधन नियमानुसार करना होगा राशि व्ययन नियमानुसार जमा कराना अनिवार्य होगा।
2. सफल निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा की स्वीकृति आरक्षण-पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर रुपये 1000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर (non judicial stamp) अनुबन्ध-पत्र की एक प्रति, जिसमें आवंटन की निबन्धन तथा शर्तें शामिल होंगी, जमा करनी होगी।
3. जहां सफल निविदा प्रस्तुतकर्ता निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार भुगतान जमा करने में असफल रहता है तो इस संबंध में उक्त राशि जमा कराने बावत समयवृद्धि हेतु लिखित आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो व्ययन विनियम अनुसार अधिकतम 90 दिवस की समयावधि में देय अधिमूल्य राशि 15 प्रतिशत विलंब ब्याज की राशि के साथ जमा करना होगी।
4. उपरोक्त अनुसार दी गई निर्दिष्ट समयवृद्धि के भीतर निविदा प्रस्तुतकर्ता भूगतान जमा करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आरक्षण को रद्द तथा निविदा प्रतिभूमि राशि (अर्नेस्टमनी) को समपहृत कर सकेगा।
5. आवंटी द्वारा मांग करने पर प्रीमियम (अधिमूल्य) की शेष राशि की वसूली अधिकतम 08 त्रैमासिक किश्तों में 10.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से की जावेगी।
6. (अ) जहां राशि का भुगतान किश्तों में किया जा रहा हो वहां आवंटी द्वारा मांग करने पर अधिकतम 8 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जाएगा। ऐसी किश्तों पर अधिकतम ब्याज की दर 10 प्रतिशत होगी। भुगतान आवंटिती द्वारा न किए जाने की दशा में आवंटिती को आवंटन निरस्त किये जाने का नोटिस संपदा अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।
(ब) तथापि, यदि आवंटी आवंटन के प्रति सहरण के लिए नोटिस प्राप्त होने के एक माह के भीतर विहित अनुसूची अनुसार समस्त लंबित किस्तों का मय ब्याज तथा दांडिक ब्याज (संबंधित किस्त की देयता तिथि से 10 प्रतिशत की दर पर) का भुगतान कर देता है तो विकास प्राधिकरण आवंटन का प्रति सहरण संबंधी नोटिस वापस ले सकेगा।

परन्तु आवंटिती द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त राशि हेतु दो वर्ष की 8 किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकेगी, परंतु उक्त पर नियतानुसार 10 प्रतिशत विलंब ब्याज देय होगा।

(स) तथापि, यदि उपरोक्त उप नियम (2) में तथा उल्लेखित भुगतान नहीं किया जाता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा किस्त भुगतान न किए जाने के कारण आवंटन निरस्त किए जाने की दशा में प्रीमियम राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि विकास प्राधिकरण समपहृत कर लेगा तथा शेष राशि आवंटी को लौटा दी जाएगी आवंटी को समपहृत की गई राशि पर ब्याज का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

7. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम जाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
8. यदि संपत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में संपत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बड़े हुए क्षेत्रफल की प्रीमियम राशि की गणना व्ययन नियम, 2018 के नियम 21 के अनुसार की जावेगी।

9. यदि किसी विविष्ट भूमि का आवंटिती उसे आवंटित किये गये भूखण्ड से अनुलग्न भूमि के आवंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि आवंटन, भूमि का आवंटन तारीख को प्रचलित मार्ग दर्शक दर पर अथवा ऐसी दर जिस पर आवंटिती द्वारा पूर्व धारित भूखण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो, कर सकेगा।
10. आवंटिती/भू-स्वामी शासन, नगरपालिक अभिकरण अथवा अनुरूप किसी सांविधिक निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तिथि से भुगतान हेतु भी उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया है अथवा नहीं।

दो: संपत्ति को भूस्वामी अधिकार (Bhoomiswami adhikar) पर पदान करने संबंधी शर्तें

1. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है, जहां है" के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो) तथा प्राधिकरण भूमि/ भूखण्ड पर किसी भराई/ समतलन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. भूखण्ड की 100 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के पश्चात् ही प्राधिकरण के संपदा अधिकारी (Estate officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी। ग्राही के अनुपस्थिति की दशा में संपत्ति का भौतिक रूप से अधिग्रहण किया गया है ऐसा माना जावेगा।
3. अधिमूल्य (प्रीमियम) की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये प्रोफार्मा के अनुसार आवंटिती द्वारा भूस्वामी अधिकार (Bhoomiswami adhikar)/ दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के संपदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर तिथि से तीन माह के भीतर आवंटिती/भूस्वामी अधिकार धारी को अनिवार्यतः पंजीयक (Rsgistrar) के कार्यालय से भूस्वामी अधिकार विलेख का पंजीकरण कराना होगा। भूस्वामी अधिकार धारी को विलेख के पंजीकरण से तीस दिवस के भीतर भूस्वामी अधिकार विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. भूस्वामी अधिकार/भू-स्वामी जो सम्पत्ति के पुर्नमापन (re-measurment) का इच्छुक हो, को प्राधिकरण कार्यालय में इस हेतु अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
5. जहां संपत्ति का अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यागमन/वसीयत (natural devolution of heorship-will) के अनुग्रह में चाहा गया हो तो वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।

तीन: आवंटित सम्पत्तियों के संबंध में विकास तथा भवन निर्माण विनियम

1. आवंटित की गई संपत्ति के पदाभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं होगा।
2. भूस्वामी अधिकार धारी/भू-स्वामी को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (Planning permission) (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो), तथा ग्वालियर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा उस प्राधिकारी की भवन नक्शे की स्वीकृति हेतु सक्षम हो स्वीकृति प्राप्त किये बगैर भवन निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत माना जाएगा, तथा ऐसे कृत्य हो हटाने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार प्रारंभ की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके पदाभिहित उपयोग से पृथक होना पाया जाता है और/या कोई निर्माण गतिविधि स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न की जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में, भूस्वामी अधिकार धारी/भू-स्वामी पर किसी सांविधिक अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा उस पर कार्यवाही की जावेगी तथा उसे अधिरोपित किसी शास्ति का भुगतान भी करना होगा।

4. भूस्वामी अधिकार धारी करके सेवा संयोजनों से संबंधित आवेदन अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगर पालिका निगम अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जलप्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित रहेगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भू-स्वामी नगर पालिका निगम के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवेदन व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. (अ) प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के आधिपत्य के सौंपे जाने की तारीख से 6 वर्ष की कालावधि के भीतर में यदि आवंटित निर्माण क्षेत्र के न्यूनतम 10 प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता है, यदि निर्माण नहीं किया जाता है। तो प्राधिकरण न्यूनतम निर्माण कार्य पूर्ण होने तक रुपये 10/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष की दर से शास्ति अधिरोपित करेगा। (व्ययन नियम, 2018 के नियम 23 तथा संशोधित दिनांक 09.04.2021 अनुसार)
- (ब) यदि पट्टे की अवधि के संपादित होने की तिथि से 10 वर्ष की समयावधि में न्यूनतम निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण नियम 22 के अनुसार पट्टा निरस्त कर पुनः प्रवेष्ट करेगी।

चार: आवंटन का अंतरण

मूल आवंटन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण के इन नियमों के अधीन किये गये आवंटन का अंतरण ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसी श्रेणी का सदस्य होगा, जिसके लिए एक सम्पत्ति को आरक्षित किया गया था। उक्त आवंटन से अंतरण का शुल्क जो कि अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि अथवा आवेदन करने की तिथि को प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन दर, इनमें से जो भी अधिक हो, का एक प्रतिशत होगा। ऐसे किसी भी अंतरण के संबंध में कोई भी अनुमति इसके आवंटन तारीख से छह माह की समाप्ति से पूर्व प्रदान नहीं की जाएगी।

पाँच : अन्य निबन्धन तथा शर्तें

1. यदि निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धनों तथा शर्तों में तथा " मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्ययन नियम 2018" एवं विनियम के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/सांविधिक उपबन्धों में कोई विसंगति उद्भूत होती है तो पञ्चातवर्ती उपबन्ध अभिभावी होंगे तथा आवंटित/भू-स्वामी पर बन्धनकारी होंगे।
2. यदि योजना के अन्तर्गत कोई विशेष निबन्धन तथा शर्तों का प्रावधान किया गया हो, जैसा कि तत्संबंधी विज्ञापन में दर्शाया गया है, निविदा प्रस्तुतकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता पर उपराक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त बन्धनकारी होंगी
3. निविदा प्रपत्र, आवंटन एवं इकरारनामा के निबन्धन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधिगण नामनिर्देशीय, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञापित समनुदेशीय (Permitted assignee) भी शामिल होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द भूस्वामी अधिकार धारी/भू-स्वामी (Bhuswami Adhikar) उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा। कंपनी/फर्म/सोसायटी के प्रकरणों में अनुज्ञापित समनुदेशीय (Permitted assignees) में शामिल होंगे।

छह विशेष शर्तें

1. विज्ञापन के अन्तर्गत प्रदान की गई जानकारी अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कोई संशोधन तथा भाग—एक, भाग—दो तथा भाग—तीन व भाग—चार निविदा दस्तावेज के अभिन्न भाग हैं। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को भाग—एक, भाग—दो तथा भाग—तीन के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लिफाफा “ए पात्रता दस्तावेज” में प्रस्तुत करना होगा, साथ ही भाग—चार के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने और उसे लिफाफा—बी निविदा लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुतकर्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि प्राधिकरण द्वारा वैबसाईड में अधिसूचना के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से भी निविदा दस्तावेज में जारी किये गये कोई संशोधन निविदा प्रस्तुतकर्ता की जानकारी में हैं। यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता ऐसे किसी संशोधन के बारे में अवगत न हो तो प्राधिकरण इस कारण से निविदा प्रस्तुतकर्ता को हुई किसी हानि के लिये उत्तरदायी न होगा। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के संबंध में पत्राचार ई—मेल आई.डी पर सूचित किया जा सकेगा जिसे आपको सूचना प्राप्त हो गई है, यह माना जावेगा।

दिनांक.....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

भाग चार : निविदा प्रपत्र

(इसे लिफाफा 'बी' / पेकेट-3 में प्रस्तुत किया जाए)

प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज-2 के हेल्थ ब्लॉक के व्ययन का लीज पर आवंटन

पोर्टल टेण्डर नंबर- 2026_DTCP_512966_1

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

मूल्य रुपये 1180/- (जी.एस.टी. सहित)

अहस्तान्तरणीय (Not Trabsferable)

निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम

प्रति,

सम्पदा अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण,
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निविदा प्रस्तुतकर्ता के
पासपोर्ट आकार का
फोटो यहां चिपकाएं

महोदय,

आपके विज्ञापन क्रमांक 3864 दिनांक 03.06.2026 पोर्टल टेण्डर नंबर 2026_DTCP_512966_1 के संदर्भ में, जो शताब्दीपुरम फेज-2 के हेल्थ ब्लॉक के भूखण्ड को लीज के आधार पर भूखण्ड के आवंटन के लिए है। इस निविदा प्रपत्र के एकीकृत भाग के रूप में उपयोग के भूखण्ड को आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहता हूँ/चाहते हैं। मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के सभी निबन्धनों तथा शर्तों को पढ़कर स्पष्टतः समझ लिया गया है तथा पूर्णतः विधिवत स्वीकार कर लिया गया है तथा उनका पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं। एवं इस निविदा प्रपत्र के निबन्धनों तथा शर्तों की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न कर अपने बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:

निविदादाता का विवरण

- 1)(अ) निविदा प्रस्तुतकर्ता का नाम : 1.....
2.....
- 1)(ब) पिता/पति का नाम : 1.....
2.....
- 2)(अ) यदि निविदा कम्पनी/फर्म/किसी अन्य संस्था के नाम :
से प्रस्तुत की जा रही है तो इसका नाम लिखें
- 3) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :
.....
पिनकोड

दूरभाष/मोबाईल

(कार्यालय).....

(निवास).....

ई-मेल

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 2) हमने यह निविदा प्रारूप विज्ञापन अंतर्गत ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
- 3) मेरी/हमारी निविदा इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- 4) मैं/हम अपनी निविदा के संबंध में निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्टमनी), के रूप में, का भुगतान रूपये 2,05,69,599/-ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया है। मुझे/हमें यह भी संज्ञान है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा अपरिवर्तनीय (Irrevocable) है तथा यदि हमारे द्वारा इसे प्रतिसंहत किया जाता है तो इस निविदा के साथ जमा की गई निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्टमनी) समपहृत कर ली जाएगी।
- 5) मैं/हम यहां भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि लिफाफा 'ए' में प्रदत्त समस्त जानकारी सत्य तथा सही है तथा प्रदत्त की गई जानकारी के बारे में पूर्ण दायित्व लेता हूँ/लेते हैं तथा यह सहमति भी प्रदान करता हूँ/करते हैं कि प्राधिकरण को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी की आवश्यक हो अथवा निविदा को पूरक किये जाने के संबंध में अथवा इसे सत्यापन किये जाने के बाबत चाही जाने पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि इस निविदा की अर्हताओं के अनुसार इस निविदा के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योग्यता धारिता करता हूँ/करते हैं। यह भी अवगत है कि हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गई जानकारी गलत/तथ्यों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण (Misrepresentation of facts) पाया जाता है अथवा भुगतान की शर्तों के अनुसार राशि जमा करने में असफल रहते हैं तो ग्वालियर विकास प्राधिकरण को हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को निरस्त करने का तथा निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्टमनी) को समहृत करने का अधिकार होगा।
- 6) मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण इस निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा न ही वह किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य है तथा न ही निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को निविदा प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किये जाने हेतु बाध्य है तथा यह भी कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा अन्यथा हमारी निविदा को रद्द कर सकता है तथा एतद् द्वारा किसी भी कारण से, भले वह जो भी हो, सं इसे चुनौती प्रदान करने संबंधी हमारे अधिकार के अधित्यजन के (waive) का अधिकार रखता है।
- 7) मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से भिन्न ऐसे मामलों में, जो मुझे/हमें न तो किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तथा न ही किसी नियामक प्राधिकरण ने मुझे/हमें आरोपी ठहराया है तथा न ही मेरे/हमारे विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये हैं, जो इस निविदा के लिये आवेदन किये जाने बाबत मेरी/हमारी पात्रता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह प्रकट कर सके या किसी गंभीर अपराध से संबंध हो, जो समाज की नैतिक भावना का उल्लंघन करता हो। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि देश की सुरक्षा तथा अखण्डता से संबंधित मामलों में सरकार के किसी अभिकरण द्वारा मुझे/हमें न तो कोई आरोप-पत्र जारी किया है तथा न ही किसी न्यायालय द्वारा मेरे/हमारे द्वारा किये गये किसी अपराध के संबंध में मुझे/हमें दोषी ठहराया गया है।
- 8) मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम आवंटित भूखण्ड का उपयोग भूस्वामी अधिकार (Bhuswami Adhikar) के निबंधनों तथा शर्तों एवं राज्य के और/या परिनियम के अन्तर्गत गठित किसी अन्य अभिकरण की प्रयोज्य विधियों तथा विनियमों का कड़ाई से पालन करूंगा/करेंगे! हमारे द्वारा ऐसे भूस्वामी अधिकार के समस्त निबंधनों तथा शर्तों से सहमति भी व्यक्त की जाती है जिसका निष्पादन भवन/भूखण्ड/दुकान का आवंटन होने पर किया जाएगा।

उल्लंघन की देश में आवंटन भूस्वामी अधिकार विलेख की शर्तों के लिये रद्द करने संबंधी अधिकार प्रयोज्य विकास नियंत्रण विनियम, भवन निर्माण उपविधियों (Building bye-laws), भवन निर्माण विनियमों का अनुसारेण, शुल्क, दरों तथा करो के भुगतान के दायित्व जैसा कि अंतर्गत प्रयोज्य किसी विधि के अन्तर्गत संपत्ति को लागू हो।

- 9) मैं/हम, सम्पत्ति के बारे में मेरी/हमारी बिना शर्त तथा अनर्हित (unconditional and unqualified) अपनी निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं:

भूखण्ड क्रमांक (अंको में)	भूखण्ड क्रमांक (शब्दों में)	निविदा-दर प्रति वर्ग मीटर (अंकों में)	निविदा-दर प्रति वर्ग मीटर (शब्दों में)
दर केवल ऑनलाईन पोर्टल पर करना			

- 10)(अ) मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि सम्पत्ति का क्षेत्रफल संपत्ति/भूखण्ड के घोषित क्षेत्रफल से कम पाये जाने की दृष्टि में, निविदा की कुल राशि का समायोजन तदनुसार आनुपातिक दर के अनुसार किया जाएगा।

- (ब) यदि संपत्ति/भूखण्ड का क्षेत्रफल, विज्ञापन में भूखण्ड के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से अधिक पाया जाता है, तो बढ़े हुए क्षेत्रफल की प्रीमियम की राशि की गणना निविदा प्रपत्र के भाग-तीन के कंडिका-9 के अनुसार की जावेगी।

- 11) मैं/हम निविदा राशि की अवशिष्ट राशि के भुगतान से संबंधित निबंधन तथा शर्तों से सहमत हैं तथा मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की अदायगी में विलंब/चूक की दृष्टि में उस पर प्रयोज्य ब्याज दरों तथा लागू शास्तियों/अर्थदण्ड का भुगतान किये जाने की सहमति भी व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

- 12) मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि संपत्ति/भूखण्ड क्रमांक तथा निविदा दरों का रूपये प्रति वर्ग मीटर में अंकों तथा शब्दों में उल्लेख किया जाना निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य है।

- 13) मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि निविदा प्रपत्र में नाम और/ संपत्ति/भूखण्ड संख्या में लिप्त लेखन (overwriting) या त्रुटि या परिवर्तन होने पर निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य बना देगा।

उपरोक्त साक्ष्य में, मैं/हम निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन एवं के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन के संबंध में यह निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

भवदीय,

दिनांक :

स्थान :

.....
निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

निविदा प्रस्तुतकर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

.....
यदि निविदा प्रस्तुत करने वाली कोईकम्पनी/संस्था/किसी अन्य परिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था हो, उसकी मुद्रा (सील) लगाई जाए :

निविदादाता के लिये निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

- 1— ई-टेंडरिंग में भाग लेने हेतु प्रक्रिया
ई-टेंडरिंग में भाग लेने हेतु प्रक्रिया की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है (अनुलग्नक-ए)।
- 2— निविदा से संबंधित समस्त व्यय
निविदा तैयार करने एवं प्रस्तुत करने में जो भी व्यय होगा वह निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा एवं उक्त व्यय के संबंध में निविदादाता को कोई भी कानूनी वाद/दावा प्राधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।
- 3— भूखण्ड का भौतिक सत्यापन
निविदा प्रस्तुतकर्ता को परामर्श दिया जाता है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व भूखण्ड के भौतिक निरीक्षण के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृति पश्चात् कोई भी आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

(ब) निविदा प्रपत्र

- 1— निविदा प्रपत्र की विषय सूची
निविदा प्रपत्र के साथ निम्नानुसार दस्तावेज सम्मिलित है :
 - 1) निविदा आमंत्रण विज्ञापन/विज्ञप्ति
 - 2) निविदादाता के लिये निर्देश
 - 3) ई-टेंडर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया
 - 4) निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जिसमें निम्नानुसार चार भाग सम्मिलित है :

अ)	भाग एक	:	भूखण्ड हेतु निविदा प्रस्तुत बाबत निर्देश
ब)	भाग दो	:	शपथ पत्र का प्रपत्र
स)	भाग तीन	:	भूखण्ड के आवंटन हेतु निबंधन तथा शर्तें
द)	भाग चार	:	निविदा प्रपत्र
 - 5) अन्य कोई दस्तावेज, यदि उल्लेखित हो तो
- 2— निविदा विज्ञापन/दस्तावेजों का संशोधन
 - 1) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के पूर्व प्राधिकारी द्वारा निविदा विज्ञापन/दस्तावेज में यदि कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो वह सुधार/संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा केवल ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
 - 2) सभी सुधार/संशोधन निविदा प्रपत्र/दस्तावेज के अभिन्न अंग होंगे।

(स) निविदा प्रपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1— निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा को ऑनलाईन लिफाफे एवं दस्तावेज आदि तैयार कर अपनी निविदा संबंधित लिफाफे में दस्तावेजों के साथ अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करें।

2— निविदा दस्तावेज

निविदादाता को ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार भाग—ए, भाग—बी व भाग—सी अनुसार प्रस्तुत करना होगी।

भाग—ए : लिफाफा ए—पात्रता लिफाफा

पात्रता लिफाफे में अनिवार्य रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :

- 1) निविदा प्रपत्र का भाग एक : भूखण्ड हेतु निविदा की प्रस्तुति बाबत निर्देश
- 2) निविदा प्रपत्र का भाग दो : शपथ पत्र का प्रपत्र
- 3) निविदा प्रपत्र का भाग तीन : भूखण्ड के आवंटन हेतु निबन्धन तथा शर्तें
- 4) अ) निविदा प्रपत्र शुल्क : निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी राशि का
ब) अर्नेस्टमनी की राशि: भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/
नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा
- 5) आरक्षित श्रेणी का स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- 6) ऐसा व्यक्ति जो आवेदक की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हो उसे निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का स्केन्ड नोटरीकृत शपथ-पत्र
- 7) निविदादाता यदि कंपनी/फर्म/संस्था हैं तो संबंधित समस्त दस्तावेज
अ) इकाई द्वारा निविदा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा इकाई की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को हस्ताक्षर करने हेतु नामांकित किये जाने संबंधी स्केन्ड स्वप्रमाणित संकल्प।
ब) इकाई के निगमन (incorporation) का प्रमाण (संस्था के ज्ञापन तथा लेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख/सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज आदि) की स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रति।
- 8) अन्य कोई दस्तावेज हो जैसे—आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/वोटर आई.डी./पेनकार्ड की स्केन्ड स्वप्रमाणित प्रति।

भाग—बी : लिफाफा बी—निविदा लिफाफा

लिफाफा —बी में केवल निम्न दस्तावेज रखें (अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें) :

- 1) निविदा प्रपत्र का भाग चार : निविदा प्रपत्र

भाग—सी : लिफाफा सी—आवरण लिफाफा

- 1) लिफाफा—सी आवरण लिफाफे में लिफाफा—ए तथा लिफाफा—बी रखा जावेगा।

3— भाषा

निविदा प्रपत्र एवं अन्य पत्राचार तथा निविदा दस्तावेज की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी में होगी जो प्राधिकारी एवं निविदादाता पर समान रूप से लागू होगी। कोई दस्तावेज जो अन्य भाषा में हो तो उसे हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करना होगा।

4- वित्तीय बोली (निविदा दर/मूल्य)

निविदादाता को भूखण्ड की प्रति वर्गमीटर दर केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी। हार्डकॉपी अर्थात् भौतिक दस्तावेजों के साथ संपत्ति/भूखण्ड की दर प्रस्तुत नहीं करना है।

5- निविदा की वैधता

निविदाएं, निविदा प्राप्ति की नियत तारीख से 90 दिवस की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

6- निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी)

- 1) निविदा प्रस्तुतकर्ता को विज्ञापन/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) ऑनलाईन जमा करना होगी तथा ऑनलाईन जमा रसीद की स्केन्ड कॉपी पोर्टल पर अपलोड भी करना होगी।
- 2) निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि का भुगतान केवल ऑनलाईन किया जाना होगा।
- 3) निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि के भुगतान किये बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी।
- 4) अन्य निविदा प्रस्तुतकर्ता, जिनकी निविदाएं स्वीकार न की गई हो, निविदा खोलने की तारीख से 15 दिन के भीतर निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) की राशि लौटा दी जावेगी।

(द) निविदा को प्रस्तुत करना

निविदादाता को अपनी निविदा के दोनों भाग अर्थात् भाग-ए एवं भाग-बी में सम्मिलित समस्त दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अर्नेस्ट मनी जमा ऑनलाईन रसीद स्केन करना होगी तथा स्केन्ड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है तथा ये सभी दस्तावेज फिजिकल फॉर्म में भी निविदा के भाग-सी (आवरण लिफाफा) में निर्धारित दिनांक तक कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। जिस भूखण्ड क्रमांक के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका भूखण्ड क्रमांक एवं दर केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत की जाना है, फिजिकल फॉर्म में नहीं।

(ई) निविदा प्रपत्रों को खोलना

निविदा प्रपत्र को खोलने की प्रक्रिया

- 1) निविदा खोलने के प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल Packet-2 (PreQual/Technical) को खोला जावेगा तथा प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।
- 2) आवश्यक अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों, निविदा दस्तावेज शुल्क तथा निविदा प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) के बिना प्रस्तुत निविदा अस्वीकार होगी।
- 3) दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात् निर्धारित दिनांक व समय अनुसार केवल पात्र पाये गये निविदा प्रस्तुतकर्ताओं के निविदा लिफाफा अर्थात् Packet-3(Finance) को खोला जावेगा।
- 4) ऐसे निविदा प्रस्तुतकर्ता जो निविदा लिफाफा Packet-3(Finance) को खोलने के समय उपस्थित रहने को इच्छुक हो, वे निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- 5) प्रस्तुत की गई निविदा का परिणाम निविदा खोलने के अधिकतम 90 दिवस या इसके पूर्व घोषित किया जाएगा एवं इसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- 6) प्राधिकरण को किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ई-टेंडर में भाग लेने हेतु प्रक्रिया

1- निविदादाताओं का ई-टेंडर प्रणाली में पंजीकरण :

सभी निविदादाताओं को ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा।

2- डिजिटल सर्टिफिकेट :

निविदादाता की पहचान हेतु निविदादाता को इलेक्ट्रॉनिकली क्लास-3 डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता क्लास-3 डिजिटल प्रमाण पत्र भारत सरकार, के प्रमाणीकरण प्राधिकरण नियंत्रक के द्वारा, अधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह क्लास-3 डिजिटल प्रमाण पत्र निर्धारित आवेदन में अनिवार्य दस्तावेजों के साथ जमा करने के उपरांत प्रदाय किया जाता है। अधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाइट cca.gov.in देखें।

टीप :

- अ) प्रायः 7 कार्यकारी दिवस में क्लास-3 डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है, अतः निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि वे शीघ्र उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें। वे निविदादाता जिनके पास पूर्व से ही वैध क्लास-3 डिजिटल प्रमाण पत्र है उन्हें दूसरा डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल प्रमाण पत्र के संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र करने हेतु वेबसाइट cca.gov.in देखें।
- ब) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक निविदादाता अपनी निविदा को प्रस्तुत कर सकेगा। निविदादाता को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
- स) भागीदारी फर्म/रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/संस्था के अधिकृत डिजिटल प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रस्तुतीकरण के समय जो डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसे संबंधित फर्म/कंपनी/संस्था से पॉवर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- द) निविदादाता भागीदारी फर्म होने पर समस्त भागीदारों द्वारा किसी एक व्यक्ति को अधिकृत करने हेतु अधिकार पत्र जारी किया जावेगा। निविदादाता प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने पर कम्पनी द्वारा पारित संकल्प अनुसार अधिकृत व्यक्ति हेतु जारी अधिकार पत्र मान्य होगा। जब तक कि अधिकार पत्र वापस न लिया जाए तब तक यह माना जावेगा कि संबंधित संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही ऑनलाईन निविदा इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एक्ट-2000 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। इस अधिकृत व्यक्ति को डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा जो निविदा प्रस्तुत की गई है, वह फर्म/कंपनी/संस्था पर बंधनकारक होगी। यदि फर्म/कंपनी/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु पूर्व से अधिकृत व्यक्ति के स्थान पर नए अधिकृत व्यक्ति को नया डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो फर्म/कंपनी/संस्था के मैनेजमेंट/भागीदारों की यह जवाबदारी होगी कि वे प्रमाणीकरण प्राधिकरण को सूचित करें।

3- निविदादाता के कम्प्यूटर सिस्टम की स्थापना

निविदादाता को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कम्प्यूटर सिस्टम की स्थापना करना होगी जिसमें कम्प्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, यूटिलिटीज, फॉन्ट्स आदि की आवश्यकता होगी। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है जिसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 01204001002 हैं

4- प्रमुख तिथियां:

प्राधिकारी द्वारा निविदा के विभिन्न चरण जैसे निविदा प्रपत्र क्रय करने की अवधि व समय तथा निविदा का प्रस्तुत करने का समय एवं दिनांक तथा निविदा समाप्ति का समय एवं दिनांक निविदा के चरणों के अनुसार बंद कर दिया जावेगा, ऐसी स्थिति में निविदादाता को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कार्य एवं जिम्मेदारी के साथ निविदा में भाग लेने हेतु निविदा में उल्लेखित सभी प्रमुख तिथियों का पालन सख्ती करे।

5- निविदा तैयार एवं प्रस्तुत करना

निविदादाता आमंत्रित निविदा विज्ञापन/दस्तावेज में उल्लेखित प्रमुख तिथियों के अनुसार ही अपनी निविदा को ऑनलाईन, संबंधित लिफाफे एवं दस्तावेज आदि तैयार कर अपनी निविदा संबंधित लिफाफे में दस्तावेजों के साथ अधिकृत व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

6- निविदा प्रपत्र को क्रय करना

निविदादाता को निविदा प्रपत्र को क्रय करने हेतु निर्धारित सर्विस चार्ज ऑनलाईन जमा करना होगा।

निविदा प्रपत्र का शुल्क एन.आई.टी में पृथक से उल्लेखित किया गया है। निविदा प्रपत्र संबंधित निविदादाताओं को निविदा ऑनलाईन जारी होने के समय एवं तारीख से प्रमुख तिथियों के अनुसार क्रय करने हेतु उपलब्ध होगी। निविदा प्रपत्र के शुल्क का भुगतान ऑनलाईन/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा।

7- निविदा की वापसी, प्रतिस्थापन एवं परिवर्तन करना

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदादाता अपनी निविदा को ऑनलाईन वापस लेकर परिवर्तित कर जमा कर सकेगा।